Starred Assembly Question No.34(14/14/475)

Criteria to Issue or Cancel BPL cards

***34 (14/14/475) SH.AMIT SIHAG (DABWALI) :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the criteria of the Government to issue or cancel BPL cards in State;

b) the process being undertaken by the Government to decide the list of BPL beneficiaries in State; and

c) the number of BPL cards issued/cancelled by the Government in State since 1st January, 2022 till to date?

Answer:- Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

a) The criteria to issue or cancel BPL (Priority Household) cards in the State has been decided by the Rural Development Department and Urban Local Bodies, Haryana vide notifications dated 03.08.2022 and 31.08.2022 respectively. The criteria of total verified annual income of upto Rs.1.80 lakh is considered for issuance of BPL (Priority Household) card, as per the notifications.

b) The process for inclusion/exclusion of BPL(Priority Household) beneficiaries in the State is being undertaken by Citizen Resource Information Department (CRID), Haryana on the basis of total verified annual income as per Parivar Pehchan Patra data base.

c) 12,46,507 BPL (Priority Household) cards have been issued and 9,62,742 BPL (Priority Household) cards have been cancelled after 1st March, 2022 on the basis of data provided by CRID.

तारांकित विधान सभा प्रश्न नं0 34 (14/14/475)
बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करने व रद्द करने के लिए मापदण्ड

***34(14/14/475)** श्री अमित सिहाग (डबवाली): क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क) राज्य में बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करने व रद्द करने के लिए मापदण्ड
ख) राज्य में बीपीएल लाभार्थियों की सूची तय करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही प्रक्रिया और
ग) 1 जनवरी, 2022 से अब तक राज्य में सरकार द्वारा जारी/रद्द किए गए बीपीएल कार्डो की संख्या कितनी है?

उत्तरः- दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

क) राज्य में बीपीएल कार्ड जारी करने या रद्द करने का मानदण्ड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा क्रमशः जारी अधिसूचना दिनांक 3.8.2022 तथा 31.8.2022 के तहत निर्धारित किये गये है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 1.80 लाख रूपये तक की कुल सत्यापित वार्षिक आय के मानदण्ड को प्राथमिक परिवार (बीपीएल) राशन कार्ड माना जाता है।

ख) राज्य में बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करने/बहिष्कृत करने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा द्वारा परिवार पहचान पत्र/परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिय आय के आधार पर अपनाई जा रही है।

ग) CRID द्वारा उपलब्ध करवाये गये डाटा के आधार पर 1 मार्च, 2022 के बाद विभाग द्वारा 12,46,507 बीपीएल (प्राथमिक परिवार) राशन कार्ड जारी किए गए है और 9,62,742 रद्द किए गए हैं।